न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 243 / 2025

प्रार्थीनी
1 पुष्पादेवी पत्नी गोतमचन्द जाति जैन निवासी बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थी
1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1 श्री राणराम गौड़, वकील प्रार्थी पक्ष।

आदेश

दिनांक 04.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 976 / 925 रकबा 0.1943 हैक्टैयर भूमि की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी के पति के द्वारा सहखातेदार पंकज जैन द्वारा एक भागीदारी फर्म सुर्या महल रिसोर्ट के नाम से लंगेरा के खेत खसरा संख्या 925 / 97 रकबा 02.08 बीघा भूमि जरिये पंजीयन बेचान पत्र दिनांक 01.06.2020 को स्वरूपसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी खारा राठौडान तहसील रामसर जिला बाडमेर से खरीद की गई थी, तत्पश्चात प्रार्थीनी के पति का देहान्त दिनांक 21.07.2021 को हो जाने से उक्त फर्म में प्रार्थीनी के पति के स्थान पर प्रतिस्थापित हुई थी। फर्म के भागीदार पंकज जैन एवं प्रार्थीनी द्वारा फर्म को विखण्डित करते हुए भूमि में 1/2—1/2 हिस्सा अनुसार विभाजन करवाया जिसके अनुसार खसरा संख्या 975 / 925 पंकज जैन एवं खसरा संख्या 976 / 925 प्रार्थीनी के नाम खातेदारी में दर्ज की गई। खसरा संख्या 976 / 925 राजस्व अभिलेख में ''पुष्पादेवी पत्नी गोतमचन्द जैन सुर्या महल रिसोर्ट जरिये भागीदार'' है। उक्त फर्म विखण्डित होने के कारण प्रार्थीनी की खातेदारी के खेत से फर्म सुर्या महल रिसोर्ट जरिये भागीदार नाम हटाना न्यायोचित है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर खेत मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 976 / 925 रकबा 0.1943 हैक्टैयर भूमि में ''पुष्पादेवी पत्नी गोतमचन्द जैन सुर्या महल रिसोर्ट जरिये भागीदार'' के स्थान पर ''पुष्पादेवी पत्नी गोतमचन्द जैन'' शुद्व करवाने के आदेष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व / 2025 / 2070 दिनांक 18.07.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 976 / 925 रकबा 0.1943 हैक्टैयर भूमि पर रिसोर्ट भवन बना हुआ है, भूमि खाली नही है। रेकर्ड अनुसार मूल खसरा संख्या 925 / 97 रकबा 02.08 बीघा भूमि स्वरूपसिंह पुत्र सवाईसिंह कौम राजपूत सा. खारा राठौड़ान के नाम दर्ज थी, जो जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2020 क्रमांक 202003078100826 द्वारा क्रेता सुर्या महल रिर्सोट्स बाडमेर जरिये भागीदार गौतमचन्द जैन पुत्र शंकरलाल जाति जैन निवासी जुना केराडू मार्ग बाडमेर पंकज जैन पत्नी रामेश्वर कुमार जैन निवासी हमीरपुरा बाडमेर ने क्रय की है। गौतमचन्द पुत्र शंकरलाल के फौत होने पर उनके स्थान पर नामान्तकरण संख्या 893 दिनांक 20.06.2022 द्वारा उसके वारिशान अम्बिका बोहरा, भाविका बोहरा, राजेश बोहरा पिसरान गौतमचन्द जैन पुष्पादेवी पत्नी गौतमचन्द के नाम दर्ज किया गया। उसके बाद उक्त खाते का सहमति विभाजन होने से खसरा संख्या 976/925 रकबा 0.1943 हैक्टेयर उपरोक्तानुसार गौतमचन्द के वारिशान के नाम दर्ज किया गया तथा नामान्तकरण संख्या 1016 दिनांक 21.11.2024 द्वारा हकत्याग होने से खसरा संख्या 976/925 रकबा 0.1943 हैक्टेयर पुष्पादेवी पत्नी गौतमचन्द जैन सूर्या महल रिर्सोट्स जरिये भागीदार हिस्सा पूर्ण जाति जैन सा. किरोडू मार्ग बाडमेर खातेदार के नाम दर्ज हुआ जो वर्तमान में रिकॉर्ड में चला आ रहा है।

वकील प्रार्थीनी को तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा रिकॉर्ड के परीप्रेक्ष्य में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 976/925 रकबा 0.1943 हैक्टैयर भूमि में "पुष्पादेवी पत्नी गोतमचन्द जैन सुर्या महल रिसोर्ट जरिये भागीदार" के स्थान पर "पुष्पादेवी पत्नी गोतमचन्द जैन जाति जैन सा. हमीरपुरा बाडमेर" शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। वकील प्रार्थीनी ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार नाम दुरूस्त की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है। तहसीलदार बाडमेर ने अंकित किया है कि मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 976/925 रकबा 0.1943 हैक्टैयर भूमि पर रिसोर्ट भवन बना हुआ है, भूमि खाली नही है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कृषि भूमि का अकृषि भूमि में उपभोग करना साबित है। तहसीलदार बाडमेर निर्माण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 976/925 रकबा 0.1943 हैक्टैयर भूमि में "पुष्पादेवी पत्नी गोतमचन्द जैन सुर्या महल रिसोर्ट जरिये भागीदार" के स्थान पर "पुष्पादेवी पत्नी गोतमचन्द जैन जाति जैन सा. हमीरपुरा बाडमेर" शुद्ध की जाती है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली बाद तकमील सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 04.08.2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर